

14-5-18 पञ्जाबली राजस्व लोभ अदालत आभियान  
 न्याय आपके अर-2018 में अदालत सेवा  
 केन्द्र आसलपुर पेश की। गार्डियन के  
 पीएचए के तै। मूलवाद खारिज हो चुका  
 है इसलिये एच. ग्रां एच का अदालत के  
 औचित्य नहीं रह गया है। अतः मूलवाद के  
 परिषद में एच ग्रां एच नकार के कि प्राण का  
 पञ्जाबली के सल शुकर होकर दर्ज नम्बर से  
 कम है। और मजमें नाम में सुनाया गया।

टी/वी 24/10  
 जारिय- 4/11  
 10/11/18

उपखण्ड अधिकारी  
 सामरलेक